"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 जनवरी 2013—पौष 13, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 15 के उप नियम (3) में शब्द "गोपनीय प्रतिवेदन" के स्थान पर शब्द "गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (परफार्मेंस एपराईजल रिपोर्ट)" प्रतिस्थापित किये जायें.

(2) नियम 17 में शब्द "मंत्रिपरिषद्" के स्थान पर शब्द "शासन" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) उक्त नियमों के अंग्रेजी अनुवाद में नियम 4 के उप नियम (5) में शब्द "appointment" के स्थान पर शब्द "appointments" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3, दिनांक 03 जनवरी, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 3rd January 2013

NOTIFICATION

No. F 9-1/2012/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the "Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012", namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in sub rule (3) of rule 15, for the words "Confidential Report" the words "Confidential Report/P.A.R. (Performance Appraisal Report)" shall be substituted.

(2) in rule 17, for the word "Cabinet" the word "Government" shall be substituted.

(3) in the English translation of said rules, in sub rule (5) of rule 4 for the word "appointment" the word "appointments" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.